न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 48/16

1. जयराम
2. सोहनराम
3. हरिलाल
4. कमलेश पुत्रान किशोरी जातियान माली निवासीयान महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. गजयसिंह
2. दशरथ सिह पुत्रान बीरवल
3. अमरसिह
4. गिर्राज पुत्रान झन्डू
5. मु0 फरगन बेवा ज्ञानसिह
6. पप्पी
7. कल्ला पुत्रान ज्ञानसिह
8. बंटी पुत्र ज्ञानसिह जरिये माता मु0 फरगन
9. चीपो
10. बाबूडी
11. सन्तरा पुत्री झण्डू सभी जातियान बंजारा निवासीयान महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मु0न0 50/12 निर्णय व डिकी दिनांक 13.5.16)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की और से श्री भागचंद पालीवाल
2. रेस्पोडेट 1 से 8 की और से श्री ओमप्रकाश पारीक

निर्णय

दिनांक 28.2.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 50/12 निर्णय व डिकी दिनांक 13.5.16 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 588 रकबा 23 ऐयर , 589 रकबा 17 ऐयर , 596 रकबा 22 ऐयर, 601 रकबा 24 ऐयर ग्राम महूकलां वादीगण की खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है। वादीगण की उक्त भूमि के लगवा ख0न0 895/605 रकबा 4 ऐयर सिवायचक भूमि है। जिस पर वादी करीब 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण असरदार व्यक्ति है जो जबरन वादीगण की खातेदारी व सिवायचक भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 15.2.12 को प्रतिवादीगण व अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ वादीगण की कब्जे शुदा की आराजी पर जहॉ वादीगण के काफी मात्रा में पत्थर पडे हुए थे, आ गये और जे.सी.बी. मशीन से नीव की खुदाई करना शुरू कर दिया। जब वादीगण दशरथ सिह व गिर्राज ने मना किया एवं जैसे तैसे प्रतिवादीगण को बेजा हरकत करने से रोका गया। इस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण कहने लगे आयन्दा हम नीव खोदकर निर्माण करेगे तथा तुम्हे यहाँ से बेदखल करेगे। इस वादीगण द्वारा तत्समय तहसीलदार महोदय को उक्त तथ्यो का प्रार्थना पत्र समाहित किया । जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख किया कि ख0न0 895/605 रकबा 4 ऐयर सिवायचक पर वादीगण गजयसिह, दशरथसिह,गिर्राज ,अमरसिह मु0फरगन आदि का पूर्व से कब्जा है व उनके पत्थर पडे हुए है। प्रतिवादीगण नाजायज रूप से निर्माण कर रहे है शांति भंग होने का अन्देशा है। पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट से प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा हाथो मे लाठी गण्डासी लेकर वादीगण के खेतो पर दिनांक 20.2.12 को आ गये व कहने लगे कि तुमने रिपोर्ट कर अच्छा नही किया है। अब हम तुम्हे सिवायचक से ही क्या तुम्हारी खातेदारी की जमीन पर भी नही घुसने देगे। चाहे जो कुछ भी कर लो। इस प्रकार वादीगण की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने पर उतारू है। अतः दावा विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि कब्जे की भूमि ख0नं0 895/605 और खातेदारी भूमि ख0न0 588,589,596, 601 ग्राम महूकलां के कब्जे काश्त मे वादीगण मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि खसरा न0 895/605 रकबा 4 ऐयर सिवायचक भूमि नही होकर आबादी भूमि है। जिस पर अपीलाटान लम्बे समय से काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि मे अपींलाटान की 4 गह पाटोर बनी हुई है एवं भूमि के चारो ओर पुख्ता डंडा बना रखा है। वादीगण/रेस्पो0 द्वारा दिनांक 15.2.12 की घटना व वार्तालाप सब गलत व बनावटी अंकित किये गये है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी गलत है। ख0न0 605 रकबा 0.12 है0 अपीलांटान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उससे लगवा ही ख0न0 895/605 रकबा 4 ऐयर भूमि है जिस पर पहले अपीलांट के पिता किशोर माली का व वर्तमान मे अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट के पिता किशोरी माली को ख0न0 188 रकबा 16 बिस्वा आवंटित हुआ था। जिसकी खातेदारी नामा0 संख्या 211 दिनांक 16.9.76 द्वारा किशोरी माली के नाम दर्ज हो गई। साबिक ख0न0 188 की मौके की स्थिति के अनुसार खसरा न0 605 व खसरा न0 605 की 12 ऐयर भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा 4 ऐयर भूमि पर अपींलाटान व उनके पिता ने 4 गह पाटौल पेश मकान बनाकर भूमि के चारो ओर पुख्ता डंडा बनवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लिया इसलिये यह 4 ऐंयर भूमि राजस्व रिकार्ड मे आबादी की भूमि अंकित कर दिया गया है। रेस्पों/वादीगण का इस 4 ऐयर भूमि पर न तो पहले कब्जा रहा और न अब कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे विवाधक निर्धारित नही किये है। प्रकरण विवाधक निर्धारण की स्टेज पर विचारधीन था कि लोक अदालत का नोटिस केम्प कोर्ट मे उपस्थित होकर राजीनामा, सदभाव व मेलजोल से उक्त राजस्व प्रकरण का निर्णित कराने बाबत अपीलांटान को प्राप्त हुआ है। जहॉ अपीलांटान ने अपना उक्त पक्ष स्पष्ट रूप से रखा एवं अपीलांटान के सहमत नही होते हुए भी मनमानी पूर्ण तरीके से वादीगण/रेस्पो0 का वाद अपीलांटान के विरूद्व अनुचित रूप से निर्णित कर दिया। जो अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री तथ्यो एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार" के तहत उक्त प्रकरण मे लोक अदालत/केम्प कोर्ट महूकलां मे पक्षकारो को उपरिथत होकर राजीनामा सद्भाव मेलजोल से निर्णित करने के लिए नोटिस प्राप्त हुआ था। प्रतिवादीगण के सहमत नही होने पर भी प्रकरण को मनमाने तरीके से बिना पक्षकारो के नियमानुसार साक्ष्य लिये व जयराम के अलावा शेष अपीलांटान की शिविर मे अनुपस्थिति के बाबजूद सभी अपीलांटान के विरूद्व डिक्री कर दिया। इस तरह से राजस्व अभियान का उद्वेश्य ही निष्फल हो गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कंथन का नही सुना एवं ना ही राजस्व रिकार्ड पर गौर किया । वास्तव मे उक्त 4 ऐयर भूमि आबादी दर्ज है। अपीलांट की उसमे 4 गह पाटोल पोश बनी हुई है। ज़िसमे अपीलांटान निवास कर रहे है। वादीगण/रेस्पो0 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। इन महत्वपूर्ण तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। वादीगण/रेस्पो0 व पटवारी हल्का ने साज कर रखा है उसके बयान रिकार्ड किये बिना व उनसे जिरह का अवसर दिये बिना वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। वास्तविक स्थिति यह है कि वादीगण/रेस्पो0 अपनी उक्त खातेदारी की भूमि को विक्रय कर चुके है। उनका अब उनकी उक्त खातेदारी की भूमि से कोई संबंध नही है न ही उनका कब्जा है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। खसरा न0 605 का साबिक ख0न0 188 रकबा 16 बिस्वा था जो अपीलांटान के पिता किशोरी माली को आवंटन होकर दिनांक 16.9.76 को नामा0 संख्या 211 के द्वारा अपीलांटान के पिता की खातेदारी मे दर्ज हो गया। ख0न0 605 की 12 ऐय[illegible] तथा लगातार काश्त करते चले आ रहे है। उक्त 4 ऐयर आबादी भूमि [illegible] मानते हुए तहसीलदार को इस बाबत निर्देश देकर अधिन[illegible]यालय ने भूल [illegible]। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि आराजी ख0न0 588 रकबा 23 ऐयर , 589 रकबा 17 ऐयर , 596 रकबा 22 ऐयर, 601 रकबा 24 ऐयर ग्राम महूकलां रेस्पो0 की खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है। रेस्पो0की उक्त भूमि के लगवा ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

895/605 रकबा 4 ऐयर सिंवायचक भूमि है। जिस पर रेस्पो0 करीब 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। अपीलांटान का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। अपीलांटान असरदार व्यक्ति है जो जबरन रेस्पो0की खातेदारी व सिवायचक भूमि से रेस्पो0 को बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 15.2.12 को अपीलांटान व अन्य कुछ व्यक्तियो के साथ रेस्पो0 की कब्जे काश्त की आराजी पर जहॉ रेस्पो0 के काफी मात्रा मे पत्थर पडे हुए थे, आ गये और जे सी बी मशीन से नीव की खुदाई करना शुरू कर दिया। जब रेस्पो0दशरथ सिह व गिर्राज ने मना किया एवं जैसे तैसे अपीलांटान को बेजा हरकत करने से रोका गया। इस पर अपीलांटान कहने लगे आयन्दा हम नीव खोदकर निर्माण करेगे तथा तुमको यहॉ से बेदखल करेगे। इस रेस्पो0 द्वारा तत्समय तहसीलदार महोदय को उक्त तथ्यो का प्रार्थना पत्र समाहित किया । जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख किया कि ख0न0 895/605 रकबा 4 ऐयर सिवायचक पर रेस्पो0 गजयसिह, दशरथसिह,गिर्राज ,अमरसिह मु0फरगन आदि का पूर्व से कब्जा है व उनके पत्थर पडे हुए है। अपीलांटान नाजायज रूप से निर्माण कर रहे है शांति भंग होने का अंदेशा है। पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट से अपीलांटान नाराज हो गये तथा हाथो मे लाठी गण्डासी लेकर रेस्पो0के खेतो पर दिनांक 20.2.12 को आ गये रेस्पो/वादीगण को जबरन भूमि से बेदखल करने की धमकी देने एवं जान माल का खतरा होने के कारण ही वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पंत्र प्रस्तुंत किया गया था। अतःअपीलांटान की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 वाके ग्राम महुकलां के खतौनी संख्या 28 के अनुसार ख0न0 586,588,589 गजय सिंह दशरथ सिंह पिसरान बीरबल मु0 फिरंगन बेवा ज्ञान सिंह, , कल्ला, बन्टी पिसरान ज्ञान सिंह ना0 बा0 संरक्षक माता हिस्सा 1/2 अमरसिंह, गिर्राज पि0 झन्डू चीमो बाबूडी, संतरा पुत्रियान झण्डू हिस्सा 1/2 बंजारा सा0 देह खातेदार राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 सवाई माधोपुर मुर्तहिन के नाम अंकन है व नकल जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 वाके ग्राम महूॅकलां के खतौनी संख्या 27 के अनुसार ख0न0 596,601 गजय सिह ,दशरथ सिह पिसरान बीरवल मु0 फिरंगन बेवा ज्ञानसिह , पप्पी ,कल्ला,बंटी पिसरान ज्ञान सिंह ना0बा0 ... माता खुद कौम बंजारा सा0देह खातेदार राहिन भूमि विकास बैंक लि0 सवाई माधोपुर ... के नाम अंकन है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 वाके ग्राम ...कलां के खतौनी संख्या 1 के अनुसार ख0न0 895/605 रकबा 0.0450 हे0 ... ... परती (जुताई हेतु) व आबादी दर्ज है। भमि का वर्गीकरण जाव 1 है। जमाबंदी मे अंकन जुताई हेतु व आबादी दोनो विराधाभासी है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे भूमि ख0न0 895/605 रकबा 4 ऐयर को सिवायचक भूमि माना है। चूकि उपखण्ड अधिकारी लैण्ड रिकार्ड आफिसर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। अतः सिवायचक नही माने जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नही है। सिवायचक भूमि का संरक्षण किये जाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार जिम्मेदार है। अतः अन्य खसरान व ख0न0 895/605 रकबा 4 ऐयर के सबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। उक्त विवेचन से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 50/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.5.16 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 28.2.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner